आवास बन्धु
आवास एवं शहरी नियोजन विभाग
उ0प्र0शासन

प्रथम तल, जनपथ मार्केट, लखनऊ
दूरभाषः : 0522–4070567
E-mail: awasbandhu@gmail.com
website:http://www.awasbandhu.in

संख्याः 931 /आ.ब–1/भ0मा0–आई.डी./2023–24 दिनांक 1 मई 2024

प्रेषक,

निदेशक,
आवास बन्धु,
उ0प्र0, लखनऊ।

सेवा में,

1 **आवास आयुक्त,**
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद,
लखनऊ

2 **उपाध्यक्ष,**
समस्त विकास प्राधिकरण,
उ0प्र0।

विषयः भवन निर्माण एवं विकास उपविधि के अनुलग्नक–1 में वर्णित तकनीकी व्यक्ति ''सुपरवाईजर'' को OBPAS पोर्टल पर मानचित्र जमा/दाखिल करने हेतु आई.डी. निर्गत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक आवास बन्धु के पत्र संख्या–7352/आ.ब.–1/भ0मा0–आई.डी./2021–22 दिनांक 21.09.2021 **(छायाप्रति संलग्न)** का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा भवन निर्माण एवं विकास उपविधि के **अनुलग्नक–1** में वर्णित तकनीकी व्यक्ति ''सुपरवाईजर'' को OBPAS पोर्टल पर मानचित्र जमा/दाखिल करने हेतु आई.डी. निर्गत करने की प्रक्रिया निर्धारित करते हुए भवन निर्माण एवं विकास उपविधि–2008 (यथा–संशोधित 2011/2016) के प्रस्तर–A.-2.4 में Supervisor हेतु निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं अनुभव आदि का परीक्षोपरान्त अर्ह आवेदक का विवरण प्रारूप–3 पर अंकित कर आई.डी. निर्गत किये जाने हेतु संस्तुति सहित आख्या आवास बन्धु को प्रेषित किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

2. कतिपय विकास प्राधिकरणों द्वारा भवन निर्माण एवं विकास उपविधि–2008 (यथा–संशोधित 2011/2016) के प्रस्तर– **A.-2.4 मे** निहित प्राविधानों के अनुरूप बिना परीक्षण किये आई.डी. निर्गत किये जाने की संस्तुति की जा रही है।

3. अतः अनुरोध है कि कृपया भवन निर्माण एवं विकास उपविधि–2008 (यथा–संशोधित 2011/2016) के प्रस्तर–A.-2.4 में Supervisor **(छायाप्रति संलग्न)** हेतु निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं अनुभव आदि के परीक्षणोपरान्त अर्ह आवेदक का विवरण **प्रारूप–3** पर अंकित करते हुए आई.डी. निर्गत करने हेतु स्पष्ट संस्तुति सहित आख्या प्रेषित की जाये।

संलग्नकः यथोपरि।

भवदीय,
01/05/2024

(रवि जैन)
निदेशक

D/MS/GEA/supervisor/L

c) Issuing certificate of supervision and completion for all buildings;

d) Preparation of all service plans and related information connected with development permit; and

e) Issuing certificate of supervision for development of land for all area.

A-2.3 Structural Engineer

The minimum qualifications for a structural engineer shall be graduate in civil engineering of recognized Indian or foreign university, or Corporate Member of Civil Engineering Division of Institution of Engineers (India), and with minimum 3 years experience in structural engineering practice with designing and field work.

NOTE- The 3 years experience shall be relaxed to 2 years in the case of post-graduate degree of recognized Indian or foreign university in the branch of structural engineering. In case of doctorate in structural engineering, the experience required would be one year.

A-2.3.1 Competence

The registered structural engineer shall be competent to prepare the structural design, calculations and details for all buildings and supervision.

A-2.3.1.1 In case of buildings having special structural features, as decided by the Authority, which are within the horizontal areas and vertical limits specified in A-2.2.1(b) and A-2.4.1(a) shall be designed only by structural engineers.

A-2.4 Supervisor

The minimum qualifications for a supervisor shall be diploma in civil engineering or architectural assistantship, or the qualification in architecture or engineering equivalent to the minimum qualification prescribed for recruitment to non-gazetted service by the Government of India plus 5 years experience in building design, construction and supervision.

A-2.4.1 Competence

The registered supervisor shall be competent to carryout the work related to the building permit as given below:

a) All plans and related information connected with building permit for residential buildings on plot up to 100 m^2 and up to two storeys or 7.5 m in height; and

b) Issuing certificate of supervision for buildings as per (a)

A-2.5 Town Planner

The minimum qualification for a town planner shall be graduate or post-graduate degree in town and country planning with Associate Membership of the Institute of Town Planners.

A-2.5.1 Competence

The registered town planner shall be competent to carryout the work related to the development permit as given below;

a) Preparation of plans for land sub-division/layout and related information connected with development permit for all areas.

b) Issuing of certificate of supervision for development of land of all areas.

आवास बन्धु
आवास एवं शहरी नियोजन विभाग
उ0प्र0शासन

प्रथम तल, जनपथ मार्केट, लखनऊ
दूरभाष : 0522–2622941, 2627021,
फैक्स: 0522–4331202
E-mail: awasbandhu@gmail.com
website:http://www.awas.up.nic.in

संख्याः 7352 /आ.ब–1/भ0मा0–आई.डी./2021–22 दिनांक : 21 सितम्बर, 2021

प्रेषक,

निदेशक,
आवास बन्धु, उ.प्र,
लखनऊ।

सेवा में,

1. आवास आयुक्त,
   उ0प्र आवास एवं विकास परिषद,
   महात्मा गाँधी मार्ग, लखनऊ।

2. उपाध्यक्ष,
   समस्त विकास प्राधिकरण
   उत्तर प्रदेश।

विषयः–भवन निर्माण एवं विकास उपविधि के अनुलग्नक–1 में वर्णित तकनीकी व्यक्ति ''सुपरवाइजर'' को ओ0बी0पी0ए0एस0 मानचित्र जमा/दाखिल करवाने हेतु आई.डी. निर्गत करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–3, उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या–2372/आठ–3–2021 दिनांक 27.08.2021 **(छायाप्रति संलग्न)** का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जोकि अधोहस्ताक्षरी को सम्बोधित तथा आपको पृष्ठांकित है। उक्त शासनादेश द्वारा भवन निर्माण एवं विकास उपविधि के **अनुलग्नक–1** में वर्णित तकनीकी व्यक्ति **''सुपरवाइजर''** को ओ0बी0पी0ए0एस0 के पोर्टल पर मानचित्र जमा/दाखिल करवाने हेतु आई.डी. निर्गत करने की प्रक्रिया निर्धारित की गयी है, जो पत्र के साथ संलग्न है। निर्धारित प्रक्रियानुसार आवेदको द्वारा आवास बन्धु से आई0डी0 निर्गत किये जाने हेतु सम्बन्धित अभिकरण में आवेदन किया जायेगा। अभिकरण द्वारा प्राप्त आवेदन का नियमानुसार परीक्षण करते हुए, संलग्न **प्रारूप–3** पर सूचना आवास बन्धु को उपलब्ध करायी जायेगी, जिसके आधार पर आवास बन्धु द्वारा निर्गत की गयी आई0डी0 की सूचना सम्बन्धित अभिकरण तथा तकनीकी व्यक्ति को ई–मेल द्वारा प्रेषित की जायेगी।

अतः अनुरोध है कि उक्त प्रक्रिया का यथोचित प्रचार–प्रसार करते हुए शासनादेश के अनुपालन में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः यथोपरि। (6 पृष्ठ)

भवदीय,
21/09/2021
(रवि जैन)
निदेशक

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपिः

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन को सूचनार्थ।
2. अधिशासी निदेशक, आवास बन्धु उ0प्र0, लखनऊ को सूचनार्थ।
3. उप सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–3, उ0प्र0 शासन को उनके पत्र संख्या–2372(1)/आठ–3–2021 दिनांक 27.08.2021 के क्रम में सूचनार्थ।
4. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ0प्र0 को सूचनार्थ।
5. आई0टी0 विशेषज्ञ, आवास बन्धु को तदानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु।

(रवि जैन)
निदेशक

ई-मेल

संख्या–2372 / आठ–3–2021

प्रेषक,

अमृता सोनी,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
आवास बन्धु,
उ0प्र0 लखनऊ।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–3 लखनऊ : दिनांक : 27 अगस्त, 2021

विषयः– भवन निर्माण एवं विकास उपविधि के अनुलग्नक–1 में वर्णित तकनीकी व्यक्ति 'सुपरवाईजर' को ओ0बी0पी0ए0एस0 पर मानचित्र जमा/दाखिल करने हेतु आई0डी0 निर्गत करने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने पत्रांक–7018/आ.ब.–1/निदेशक,/2021–22 दिनांक 05.07.2021 एवं शासन को सम्बोधित तथा आपको पृष्ठांकित मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के पत्रांक–36/स.नि.(के.)/ओ.बी.पी.ए.एस./2021–22 दिनांक 13.08.2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। आपके उक्त पत्र दिनांक 05.07.2021 के माध्यम से भवन निर्माण एवं विकास उपविधि के अनुलग्नक–1 में वर्णित तकनीकी व्यक्ति 'सुपरवाईजर' को ऑन लाईन बिल्डिंग प्लान अप्रूवल सिस्टम पर मानचित्र जमा/दाखिल करने हेतु आई0डी0 निर्गत करने की प्रकिया निर्धारित करने के प्रस्ताव पर शासन से अनुमोदन प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है। मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक के उक्त पत्र दिनांक 13.08.2021 द्वारा उपरोक्त प्रस्ताव को औचित्यपूर्ण माना गया है।

2– अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया प्रश्नगत प्रकरण में अपने उक्त पत्र संख्या–7018/आ.ब.–1/निदेशक,/2021–22 दिनांक 05.07.2021 को उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव/प्रकिया के अनुसार भवन निर्माण एवं विकास उपविधि के अनुलग्नक–1 में वर्णित अनुज्ञापित तकनीकी व्यक्ति "सुपरवाईजर" को ओ0बी0पी0ए0एस0 पर भवन निर्माण एवं विकास उपविधि की अनुमन्यताओं के अन्तर्गत मानचित्र जमा/दाखिल करने के संबंध में उनकी शैक्षिक योग्यता संबंधी अभिलेख (शिक्षा संबंधी डिग्री, तकनीकी अर्हता, अनुभव प्रमाण पत्र आदि) का परीक्षण कर आई0डी0 निर्गत करने के संबंध में नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीया,

(अमृता सोनी)
सचिव

संख्या–2372(1)/आठ–3–2021–तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. आवास आयुक्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
2. उपाध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
3. अधिशासी निदेशक, आवास बन्धु, उ0प्र0 लखनऊ।
4. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ0प्र0।
5. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अजय कुमार सिंह)
उप सचिव।

K.P./writ GO-2021 A

आवास बन्धु
आवास एवं शहरी नियोजन विभाग
उ0प्र0शासन

प्रथम तल, जनपथ मार्केट, लखनऊ
दूरभाष : 0522-2622941, 2627021,
फैक्स: 0522-4331202
E-mail: awasbandhu@gmail.com
website:http://www.awas.up.nic.in

संख्याः 7018/आ.ब-1/निदेशक/2021-22 दिनांक : 5 जुलाई, 2021

प्रेषक,

निदेशक,
आवास बन्धु,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

उप सचिव,
आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-3
उ0प्र0 शासन।

विषयः-रिट याचिका संख्या-4680(एम0बी0)/2021 अम्बरीश कुमार बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य के क्रम में ड्राफ्ट मैन/नक्शा नवीसों को ओ0बी0पी0ए0एस0 (OBPAS) पर मानचित्र दाखिल कराने की अनुमति प्रदान किये जाने विषयक प्रकरण में प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन की अध्यक्षता में दिनांक 21.06.2021 को सम्पन्न बैठक के कार्यवृत्त के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-3 के पत्र संख्या-डब्ल्यू-116/आठ-3-2021 दिनांक 25.06.2021 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, उक्त कार्यवृत्त के प्रस्तर-7 के अनुसार भवन निर्माण एवं विकास उपविधि के अनुलग्नक-1 में वर्णित अनुज्ञापित तकनीकी व्यक्ति ''सुपरवाईजर'' को उनकी अर्हता के अनुसार ऑन-लाईन बिल्डिंग प्लान एप्रूवल सिस्टम (OBPAS) के माध्यम से भवन मानचित्र दाखिल करने हेतु पंजीकृत करने/अनुमति प्रदान करने के सम्बन्ध में निदेशक आवास बन्धु नियमानुसार कार्यवाही तत्काल सुनिश्चित करते हुए तद्नुसार प्रस्ताव उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गयी है।

उक्त के क्रम में अनुज्ञापित तकनीकी व्यक्ति ''सुपरवाईजर'' को ओ0बी0पी0ए0एस0 (OBPAS) पर मानचित्र जमा/दाखिल करने के सम्बन्ध में आई0डी निर्गत करने हेतु सम्बन्धित अभिकरण द्वारा पंजीकरण की कार्यवाही किया जाना एवं आवेदक के विवरण को संलग्न प्रारूप पर आवास बन्धु को प्रेषित करना, तत्पश्चात् आवास बन्धु द्वारा **सेन्ट्रलाइज्ड आई0डी0 (जैसे-SUP/LDA/No./DD/MM/Year)** निर्गत किया जाना प्रस्तावित है। उक्त प्रक्रिया हेतु संलग्न प्रस्ताव पर शासन स्तर से अनुमोदन प्रदान करने का कष्ट करें, जिससे तद्नुसार अग्रेतर कार्यवाही की जा सके।

संलग्नक : यथोपरि।

भवदीय
05/07
(रवि जैन)
निदेशक

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव।</u>

प्रतिलिपिः मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ0प्र0 को सूचनार्थ।

05/07
(रवि जैन)
निदेशक

भवन निर्माण एवं विकास उपविधि में प्राविधानित व्यवस्था के अनुसार
"सुपरवाईजर" के पंजीकरण/आई0डी0 हेतु

आवेदन–प्रक्रिया–

⇩

आवेदक सम्बन्धित अभिकरण में आवेदन संलग्न प्रारूप–1 पर करेगा।

⇩

अभिकरण द्वारा आवेदक के प्रार्थना–पत्र को संलग्नक प्रारूप–2 (नियम व शर्ते) एवं भवन उपविधि में प्राविधानित व्यवस्था के अनुसार परीक्षण किया जायेगा। परीक्षणोंपरान्त आवेदन सही पाये जाने पर सहमति की दशा में।

⇩

अभिकरण द्वारा ऑन–लाईन सूचना संलग्न प्रारूप–3 पर आवास बन्धु को उपलब्ध करायेगा।

⇩

आवास बन्धु सेन्ट्रलाइज्ड आई0डी0 (जैसे–SUP/LDA/No./DD/MM/Year) संलग्न प्रारूप–4 पर आवेदक तथा लिंक के माध्यम से सॉफ्टेक इंजीनियर्स को उपलब्ध करायेगा।

⇩

आवास बन्धु द्वारा प्रत्येक माह निर्गत आई0डी0 की सूचना संलग्न प्रारूप–5 पर समस्त अभिकरणों को प्रेषित किया जायेगा।

प्रारूप–1

भवन निर्माण एवं विकास उपविधि में प्राविधानित व्यवस्था के अनुसार अभिकरण में सुपरवाईजर पंजीकरण हेतु आवेदन का प्रारूप

(नोटः–नियम व शर्तें प्रारूप–2 पर अंकित हैं)

स्व हस्ताक्षरित

रंगीन फोटो

1. अभिकरण का नाम..
2. आवेदक का नाम..
3. पिता / पति का नाम..
4. जन्मतिथि..
5. मोबाईल नम्बर..
6. ई–मेल..
7. वर्तमान पता..
....
8. स्थायी पता..
....
9. शुल्क भुगतान का विवरण..
10. शैक्षिक योग्यता का विवरण (भवन निर्माण एवं विकास उपविधि में प्राविधान / मानक के अनुसार)........
....
....
11. अनुभव प्रमाण–पत्र (भवन निर्माण एवं विकास उपविधि में प्राविधान / मानक के अनुसार)........................
....
12. अन्य विवरण (यदि कोई हो)..

- संलग्नक– क्रमांक 9, 10 व 11 के प्रपत्र एवं आधार कार्ड संलग्न करना होगा।
- नियम व शर्तें मेरे द्वारा पढ़ ली गयी हैं, मैं उससे सहमत हूँ।

मैं शपथपूर्वक प्रमाणित करता हूँ कि मेरे द्वारा दिये गये उपरोक्त कथन मेरे संज्ञान में पूर्णतया सत्य हैं।

आवेदक के हस्ताक्षर

प्रारूप–2

नियम व शर्ते

आवेदक द्वारा भवन मानचित्र तैयार कर ओ0बी0पी0ए0एस0 (OBPAS) पोर्टल पर जमा करने हेतु **Supervisor** (सुपरवाइजर) का पंजीकरण सम्बन्धित अभिकरण द्वारा किया जायेगा, तत्पश्चात् अभिकरण द्वारा पंजीकरण की सूचना आवास बन्धु को लिंक के माध्यम से ऑन–लाईन दी जायगी तत्पश्चात् आवास बन्धु द्वारा सेन्ट्रलाइज्ड आई0डी0 (जैसे–**SUP/LDA/No./DD/MM/Year**) निर्गत की जाएगी।

भवन निर्माण एवं विकास उपविधि–2008 (यथा संशोधित–2016) के प्रस्तर–

A-2.4 Supervisor

The minimum qualification for a supervisor shall be diploma in civil engineering or architectural assistantship, or the qualification in architecture or engineering equivalent to the minimum qualification prescribed for recruitment to non-gazetted service by the Government of India plus 5 years experience in building design, construction and supervision.

A-2.4.1 Competence

The registered supervisor shall be competent to carryout the work related to the building permit as given below:

a) All plans and related information connected with building permit for residential building on plot up to 100 Sqm and up to two storeys or 7.5 m in height; and

b) Issuing certificate of supervision for building as per (a)

- अनुभव– भवन अभिकल्पन, निर्माण तथा सुपरविजन कार्य में 5 वर्ष का अनुभव होना अनिवार्य है।
- आवास बन्धु द्वारा निर्गत आई0डी0 मात्र ओ0बी0पी0ए0एस0 (OBPAS) पोर्टल पर भवन मानचित्र जमा करने हेतु वैध होगी।
- भवन मानचित्र तैयार करने में निर्गत शासनादेश, अधिनियमों एवं भवन निर्माण एवं विकास उपविधि में प्राविधानित नियमों का पालन किया जाएगा तथा उक्त के अनुरूप मानचित्र तैयार किया जाएगा।
- नेशनल बिल्डिंग कोड–2005/2016 में उल्लिखित नियमों का पालन किया जाएगा।
- मानचित्र परीक्षण के समय नियमों का उल्लंघन पाये जाने तथा तथ्यों को छिपाने, गलत ढंग से मानचित्र प्रस्तुत करने अथवा कपटपूर्ण कृत्य पाये जाने पर, सम्बन्धित उपाध्यक्ष विकास प्राधिकरण की संस्तुति पर निदेशक, आवास बन्धु द्वारा निर्गत आई0डी0 को दो वर्षों के लिए Deactivate कर दिया जाएगा।
- किसी भी प्रकार के विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में सुनवायी तथा Deactivate आई0डी0 को Activate (री–ओपेन) करने की अपील निदेशक, आवास बन्धु से की जा सकती है।
- पंजीकरण शुल्क की धनराशि रू0 5000.00 (रूपये पाँच हजार मात्र) विकास प्राधिकरण के कोष में जमा की जाएगी, जोकि नॉन–रिफण्डेबल होगी। पंजीकरण की वैधता पाँच वर्ष होगी। पाँच वर्ष बाद कॉस्ट इण्डेक्स के आधार पर पंजीकरण शुल्क पुनरीक्षित की जायेगी।
- निर्गत आई0डी0 का 05 वर्ष की सीमान्तर्गत आवास बन्धु में नवीनीकरण कराना होगा। नवीनीकरण शुल्क की धनराशि रू0 5000.00 (रूपये पाँच हजार मात्र) जोकि विकास प्राधिकरण को देय होगी तथा सम्बन्धित विकास प्राधिकरण के अभियन्ता/नगर नियोजक/मुख्य नगर नियोजक से सन्तोषजनक कार्य एवं देय राशि का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। नवीनीकरण आगामी 05 वर्ष तक वैध होगा।

प्रारूप–3

....विकास प्राधिकरण द्वारा सुपरवाइजर को आई0डी0 हेतु आवास बन्धु को परीक्षणोपरान्त भेजे जाने वाली सूचना का विवरण

आवेदक का नाम

पिता का नाम

जन्मतिथि

पता

मोबाइल न0

ई–मेल आई0डी

हस्ताक्षर ....

नाम एवं पदनाम ....

आवास बन्धु द्वारा आई0डी0 निर्गत की जायेगी।

(जैसे–SUP/LDA/No./DD/MM/Year)